भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3804

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- मृतक किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता

3804. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या करने वाले तथा सर्पदंश के कारण मृत किसानों के परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, राहत और मुआवजे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दर्ज किसान आत्महत्याओं और सर्पदंश से हुई मौतों के मामलों की संख्या कितनी है और पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या तथा स्वीकृत एवं संवितरित राशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आत्महत्या या सर्पदंश के कारण मृत छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों का कोई आंकड़ा रखा जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रभावित परिवारों को एक समान राहत पैकेज, बीमा और आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसान आत्महत्याओं और सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोकने तथा किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं और आकस्मिक मृत्यु जिनमें सर्पदंश से होने वाली मृत्यु भी शामिल है, की जानकारी संकलित करता है। वर्ष 2024 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कृषि राज्य का विषय है और मृत्यु के ऐसे मामलों में राज्य सरकारों द्वारा उनकी संबंधित नीतियों और नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि या सहायता प्रदान की जाती है।

तथापि, भारत सरकार देश भर में कृषि क्षेत्र में उत्पादन, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला लागू करती है। इन योजनाओं में कृषि क्षेत्र का संपूर्ण स्पेक्ट्रम यथा ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, डिजिटल कृषि और फसलों की खरीद शामिल हैं। इन योजनाओं की सूची अनुबंध-I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजटीय आबंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 27,662.67 करोड़ रुपये को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में 1,40,416.57 करोड़ रुपये कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने कृषि परिवारों सहित कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सामाजिक-सुरक्षा और बीमा ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जीवन और दुर्घटना के लिए किफायती बीमा कवरेज प्रदान करती हैं। पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि पीएमएसबीवाई संबंधित योजनाओं में निर्धारित पात्रता और शर्तों के अध्यधीन दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

सरकार की अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शामिल है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो 3,000 रुपये की गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता और पेंशन प्रदान करती है। आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क और कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीएवाई) 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है। यह योजना वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। ये कार्यक्रम वृद्धावस्था, मृत्यु, विकलांगता, स्वास्थ्य व्यय और आजीविका संबंधी असुरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 12 मार्च 2024 को सर्पदंश से होने वाले विष के प्रभाव की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसई) शुरू की है। यह कार्य योजना वर्ष 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मृत्यु और विकलांगताओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कार्यक्रम के तहत, विशिष्ट उपायों में सर्पदंश के प्राथमिक उपचार, निदान और प्रबंधन की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों की क्षमता निर्माण करना, उपचार तक पहुंच में सुधार करना; एम्बुलेंस सेवाएं सहित जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन देखभाल बेहतर करना; सर्पदंश के मामलों और मृत्यु की निगरानी को मजबूत करना; क्षेत्रीय विष केंद्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण; विषरोधी दवाओं और निदान पर परिचालन अनुसंधान; सर्प के विषरोधी दवाओं वाले केंद्रों का डिजिटल मानचित्रण; और सामुदायिक जागरूकता और आउटरीच गतिविधियां शामिल हैं। सरकार ने सर्पदंश के नैदानिक प्रबंधन के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें समय पर व उचित उपचार पर जोर दिया गया है। सर्पदंश से होने वाले विष के प्रभाव की रोकथाम निवारण एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसई) से संबंधित दिशानिर्देश वेबसाइट **https://ncdc.mohfw.gov.in/wpcontent/uploads/2024/07/NATIONAL-ACTION-PLAN-FOR-PREVENTION-AND-CONTROL-OF-SNAKEBITE-ENVENOMING-NAPSE.pdf**. पर उपलब्ध है।

अनुबंध- I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ एवं कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) / पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
8. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – तिलहन
9. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
10. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
11. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
12. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
15. डिजिटल कृषि मिशन
16. राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
18. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
19. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
20. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
21. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
22. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
23. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
24. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड
25. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
26. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
27. स्टार्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
28. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
29. पीएम धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)
30. कृषि वानिकी
